

कार्यालय, नगर निगम, सोनीपत

नीलामी सुचना

सर्वसाधारण को इस नीलामी सुचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नगर निगम सोनीपत, निगम की सीमा में स्थित गावों की कृषि योग्य भूमि को 1 वर्ष काशत हेतु पट्टे पर देना चाहता है। पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की खुली बोली दिनांक 18.05.2020 से 20.05.2020 तक सायं 2.00 बजे निगम कार्यालय में आयोजित की जाएगी। अतः सभी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर आकर खुली बोली में भाग ले सकते हैं। पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की बोली निम्नलिखित शर्तों पर करवाई जाएगी।

क्रमांक	गाँव का नाम	पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का कुल रकबा (कनाल - मरला)	बोली की तिथि
1	देवडू	169-14	18.05.2020
2	रेवली	145	18.05.2020
3	मुरथल पार्ट	491-15	18.05.2020
4	नांगल खुर्द पार्ट	66-13	18.05.2020
5	राई	33.07	19.05.2020
6	जाट जोशी	141-16	19.05.2020
7	जगदीशपुर	272-07	19.05.2020
8	राठधना	115-11	19.05.2020
9	लिवान	15-13	20.05.2020
10	जमालपुर खुर्द	84-12	20.05.2020
11	बैयाँपुर	176-12	20.05.2020
12	कुमाशपुर	2-0	20.05.2020

शर्तों का विवरण निम्नलिखित है।

1. बोलीदाता को बोली देने से पूर्व 5,000/- रूपए प्रति एकड़ तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि के लिए 10,000/- रूपए प्रति एकड़ धरोहर राशि मौके पर 1:30 बजे तक जमा करवानी होगी।
2. सफल बोलीदाता को एक वर्ष की पूर्ण पट्टा राशि उसी दिन नगर निगम, सोनीपत के कोष में जमा करवानी होगी। पट्टा राशि जमा न करवाने की सूरत में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि जब्त करके पुनः पट्टे पर देने बारे कार्यवाही अमल में लायी जायगी, जिसमे सफल बोलीदाता को कोई एतराज नहीं होगा।
3. बोली एक वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 15.05.2021 तक पट्टे पर दी जायगी।
4. आयुक्त नगर निगम, सोनीपत को बिना कारण बताए बोली रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. सफल पट्टेदार को पट्टे पर दी गई भूमि पर धान की खेती करना वर्जित होगा।
6. अन्य शर्तें मौके पर बोली शुरू होने से पहले सुनाई जाएगी।

आदेशानुसार
आयुक्त, नगर निगम
सोनीपत

कार्यालय, नगर निगम, सोनीपत

नीलामी सुचना

1. बोलीदाता को बोली देने से पूर्व 5 एकड़ रकबे के लिए 10,000/- रूपए प्रति एकड़ तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि के लिए 20,000/- रूपए प्रति एकड़ धरोहर राशि मौके पर जमा करवानी होगी।
2. सफल बोलीदाता को एक वर्ष की पूर्ण पट्टा राशि उसी दिन नगर निगम, सोनीपत के कोष में जमा करवानी होगी। पट्टा राशि जमा न करवाने की सूरत में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि जब्त करके पुनः पट्टे पर देने बारे कार्यवाही अमल में लायी जायगी, जिसमे सफल बोलीदाता को कोई एतराज नहीं होगा।
3. बोली एक वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 15.05.2021 तक के लिए जैसी है, जहां है के आधार पर पट्टे पर दी जायगी।
4. दिनांक 16.05.2021 को यदि मौके पर पट्टेदारी की कोई फसल खड़ी पाई गई तो उसका स्वामी नगर निगम, सोनीपत होगा।
5. सफल पट्टेदार को इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट / स्थानांतरित करने का कोई हक नहीं होगा।
6. सफल पट्टेदार को इस भूमि से कोई मिटटी उठाने अथवा अन्य से उठवाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
7. सफल पट्टेदार को बोली योग्य भूमि की मल्लिक्यत के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से चुनौती देने को कोई अधिकार नहीं होगा।
8. सफल पट्टेदार के नाम संबधित भूमि की कोई गिरदावरी नहीं होगी और न ही करवा सकेगा।
9. सफल पट्टेदार को किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से कोई क्षति होती है तो नगर निगम उनकी पूर्ति करने के लिए जिम्मवार नहीं होगा लेकिन सरकार प्राकृतिक आपदा के नुकसान से हुई भरपाई के लिए यदि कोई मुआवजा राशि जारी करती है, तो उस मुआवजा राशि पर सफल पट्टेदार का अधिकार होगा।
10. आयुक्त नगर निगम, सोनीपत को बिना कारण बताए बोली रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. आयुक्त नगर निगम, सोनीपत को बोली आरम्भ होने से पूर्व किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा।
12. सफल पट्टेदार रकबा भूमि में ट्यूबवैल जिस हालत में प्राप्त करेगा उसकी हालत में वापिस सौपेगा तथा बिजली के बिल की अदायगी सफल पट्टेदार को करने होगी।
13. यदि पट्टे पर दी गये भूमि में वृक्ष लगे है तो उनको किसी भी प्रकार की हानि के लिए पट्टेदार की पूर्ण जिम्मवारी होगी।

14. सफल पट्टेदार पट्टे पर दी गई भूमि पर केवल कृषि के लिए काशत कर सकेगा, इनके अन्दर खुदाई / मकान का निर्माण तथा कृषि के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकेगा ।
15. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद की सूरत में आयुक्त नगर निगम, सोनीपत आर्बिट्रेटर होंगे ।
16. भूमि का पट्टा भिन्न -2 आकार के भूखंड बना कर दिया जायगा जिसकी जानकारी नीलामी से 2 दिन पूर्व कार्यालय के सूचना पट पर देखी जा सकती है ।
17. सफल पट्टेदार को पट्टे पर दी गई भूमि पर धान की खेती करना वर्जित होगा ।
18. आयुक्त, नगर निगम सोनीपत की अनुमति के बाद पट्टे में बोर / ट्यूबवैल लगवाने की जिम्मेवारी नगर निगम, सोनीपत की होगी तथा किसी भी प्रकार की निगम सम्पति की हानि की जिम्मेवारी सफल पट्टेदार की होगी ।
19. सफल पट्टेदार को नियम व शर्तों के सम्बन्ध में नगर निगम सोनीपत के साथ इकरारनामा करना होगा, यदि पट्टेदार शर्तों में किसी भी प्रकार की कोई उलंघना करता है तो बिना किसी नोटिस के आयुक्त नगर निगम, सोनीपत को पट्टा रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

आदेशानुसार
आयुक्त,
नगर निगम, सोनीपत